विज्ञप्ति

झारखण्ड सरकार

स्कुली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ,झारखण्ड, राँची

कार्यालयः– क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, कोल्हान प्रमण्डल, चाईबासा।

एतद् द्वारा इच्छुक छात्र/छात्राओं कों सूचित किया जाता है कि कोल्हान प्रमण्डल में अवस्थित राजकीय प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों एवं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) में सत्र 2015–17 में दो वर्षीय शिक्षक प्रशिक्षण (डी0 एल0 एड0 कोर्स में नामाकंन) हेतु विज्ञप्ति संख्या 01/2016 द्वारा आवेदन पत्र दिनांक 30.09.2016 के संध्या 05:00 बजे तक आमंत्रित किया जाता है।

उक्त विज्ञप्ति एवं आवेदन पत्र वेबसाईट W.W.W.chaibasa.nic.in में अवलोकन किया जा सकता है।

क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक,
कोल्हान प्रमंडल, चाईबासा।

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग,
झारखण्ड, राँची

कार्यालयः—क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, कोल्हान प्रमण्डल, चाईबासा।

कोल्हान प्रमण्डल, चाईबासा अतंर्गत राजकीय प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय/जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान(डायट) मे दो वर्षीय शिक्षण प्रशिक्षण सत्र 2015–17 में नामांकन हेतु विज्ञप्ति।

विज्ञप्ति सं– 01/2016

निदेशक, प्राथमिक शिक्षा–सह–संयुक्त सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड राँची के पत्रांक 1684 दिनांक 17.09.2013 के क्रम में सरकार के प्रधान सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड रॉची के पत्रांक 1382 दिनांक 20.05.2004 एवं पत्रांक 2102 दिनांक 28.07.2004 तथा पत्रांक 236 दिनांक 25.01.06 विभागीय संकल्प संख्या 1386 दिनांक 03.08.12 के अनुसार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (N.C.T.E) से मान्यता प्राप्त राजकीय प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों/जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) मे सत्र 2015–17 में दो वर्षीय शिक्षक प्रशिक्षण में नामांकन हेतु चयन प्रक्रिया पूरा करने के लिए क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक को प्राधिकृत किया गया है।

02. तद्नुसार एतद् द्वारा कोल्हान प्रमण्डल, चाईबासा मे अवस्थित निम्नांकित राजकीय प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय/जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) में सत्र 2015–17 मे दो वर्षीय शिक्षक प्रशिक्षण हेतु छात्र/छात्राओं से आवेदन–पत्र दिनांक 30.09.2016 के संध्या 05:00 बजे तक आमंत्रित किया जाता है। महिला अभ्यर्थियों के लिए जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट), गम्हरिया, सरायकेला–खरसावॉ ही चयनित है।

03. कोल्हान प्रमण्डल, चाईबासा के अंतर्गत निम्नांकित प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय/डायट केन्द्र हैः–

<u>कोल्हान प्रमण्डल, चाईबासा</u>

क्र.सं	महाविद्यालय/डायट केन्द्र का नाम	सीटो की संख्या
01	प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, चाकुलिया, पूर्वी सिंहभूम	50
02	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट), गम्हरिया, सरायकेला–खरसावॉ (सिर्फ महिलाओं के लिए)	50
03	प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण, चैनपुर, प0 सिहभूम	100

04. पात्रताः–

(क) शैक्षणिक योग्यताः–

विभागीय पत्रांक 1382 दिनांक 20.05.2004 के क्रम में संशोधित विभागीय संकल्प संख्या 1386 दिनांक 03.08.2012 के द्वारा दो वर्षीय प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्य क्रम में नांमाकन हेतु किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/परिषद् से उच्च माध्यमिक परीक्षा/इंटरमीडियट अथवा उसके समकक्ष किसी अन्य परीक्षा में कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ एवं अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछडा वर्ग तथा दिव्यांग कोटि के उम्मीदवारो के लिए 45 प्रतिशत अंको से साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

(ख) **आवासीयः–**

i. जो झारखण्ड राज्य की भौगोलिक सीमा में जन्म लिया हो उनके पालकों के जीवित ना होने की स्थिति में झारखण्ड राज्य में कम से कम 15 वर्षो से निवास कर रहे हो।

ii. जिनके माता–पिता का झारखण्ड राज्य की सीमा में 05 वर्षो से अचल सम्पति हो।

iii. आवेदक या उनके पालक झारखण्ड राज्य में 05 वर्षो से कोई अचल सम्पति, उद्योग या व्यवसाय रखते हो।

iv. आवेदक अपनी शिक्षा झारखण्ड राज्य के किसी शिक्षा संस्थान से कम से कम 07 वर्षो तक प्राप्ति की हो या झारखण्ड राज्य से उच्च माध्यमिक परीक्षा (+2) इंटरमीडियट या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण किया हो।

v. झारखण्ड राज्य को आवंटित अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों की संतान/पति/पत्नी हो।

vi. आवेदक के पिता मूल निवासी की परिभाषा के अंतर्गत आते हो और वह सैनिक सेवा के कारण झारखण्ड राज्य मे पदस्थापित नही हो सके हो तो वे आवेदन के योग्य होगे। भले ही उन्होने राज्य के किसी भी शिक्षण संस्थान मे शिक्षा प्राप्त ना की हो।

vii. राज्य सरकार द्वारा झारखण्ड के स्थानीय निवासी के परिभाषा के अंतर्गत आने वाले व्यक्ति के पति/पत्नी हो।

viii. भूतपूर्व सैनिको के बच्चों के लिए संस्थानों में प्रवेश हेतु मूल निवासी प्रमाण की छूट होगी।

ix. वैसे अभ्यर्थी जो कश्मीर से आये हुए विस्थापित परिवार के हो तथा जिनके पालकों में से कोई भी झारखण्ड राज्य में शरणार्थी के रूप में पंजीकृत हो।

x. झारखण्ड के माननीय सांसदों/पूर्व सांसदों/विद्यायकों/पूर्व विद्यायकों एवं पूर्व पार्षदों के पुत्र/पुत्रिया हो।

xi. आवेदन पत्र के साथ आवासीय प्रमाण पत्र अनुमण्डल पदाधिकारी से प्राप्त कर संलग्न करना अनिवार्य होगा।

xii. विवाहित महिला अभ्यर्थी जो दूसरे राज्य की हो और इस राज्य में उनका ससुराल हो तो वे अपना आवासीय प्रमाण पत्र सक्षम पदाधिकारी से प्राप्त कर संलग्न करे। पति के आवासीय प्रमाण पत्र के आधार पर पत्नी का दावा मान्य नही होगा।

(ग) **उम्रः—** आवेदक की उम्र पहली जुलाई 2015 को न्युनतम 18 वर्ष होना अनिवार्य है।

05. **आरक्षणः—** कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग झारखण्ड के पत्र संख्या 1072 दिनांक 17.02.2009 के आलोक में नियमानुसार आरक्षण कोटि के अन्तर्गत आने वाले अभ्यर्थियों को आरक्षण दिया जायगा। आरक्षण कोटि के उम्मीदवार को अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। अनुमण्डल पदाधिकारी से निर्गत जाति प्रमाण पत्र संलग्न नही रहने की स्थिति में उम्मीदवारों को आरक्षण का लाभ देय नही होगा। आवेदन पत्र समर्पित करने के बाद की तिथि से निर्गत जाति प्रमाण पत्र आरक्षण लाभ के लिए मान्य नही है। दूसरे राज्य से निर्गत जाति प्रमाण पत्र के आधार पर इस राज्य के आरक्षण कोटा का लाभ देय नहीं है।

06. **चयनः—** विभागीय पत्र संख्या 1386 दिनांक03.08.2012 के आलोक में शैक्षणिक योग्यता के आधार पर निम्नानुसार अंक प्रदान कर मेधांक का निर्धारण किया जायेगाः—

क्र. सं.	प्राप्तांक (अनारक्षित/आरक्षित कोटि)	परीक्षा एवं प्राप्तांक प्रतिशतवार अनुमान्य मेधांक				
		मैट्रिक	उच्च माध्यमिक/ +2	स्नातक		स्नातकोत्तर
				पास कोर्स	प्रतिष्ठा	
01	02	03	04	05	06	07
01	50% या 45% से अधिक एवं 60% से कम	5	5	5	10	5
02	60% से 65% तक	6	6	6	11	6
03	65% से अधिक एवं 70% तक	7	7	7	12	7
04	70% से अधिक एवं 75% तक	8	8	8	13	8
05	75% से अधिक एवं 80% तक	9	9	9	14	9
06	80% से अधिक	10	10	10	15	10

प्रवेश हेतु कुल मेधांकः– 45

एन0सी0सी (बी0 सर्टिफिकेट) – 02 अंक

एन0सी0सी (सी0 सर्टिफिकेट) – 03 अंक

खेलकुद जिसमें राज्य का प्रतिधित्व किया हो – 03 अंक

खेलकुद जिसमें देश का प्रतिधित्व किया हो – 05 अंक

कुल मिलाकर 45+05 = 50 अंक

कुल मेधांक समान रहने पर उच्चतर शैक्षणिक योग्यताधारियों को नामांकन में प्राथमिकता दी जायगी। यदि सभी कुछ एक सामान हुए तो जिस उम्मीदवार की जन्म तिथि पूर्व की हो उन्हे जन्म तिथि के आधार पर चयन मे प्राथमिता दी जायगी।

07. प्रत्येक प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय (डी0 एल0 एड0) में सीटों का बंटवारा उसके विरूद्ध नामांकन निम्नवत होगाः–

01	भाषा	हिन्दी/संस्कृत/अरबी/फारसी/उर्दू	30%
		अंग्रेजी	10%
		जनजातीय/क्षेत्रीय भाषाएँ	10%
02	विज्ञान	भौतिकी/गणित	15%
		रसायन/जीव विज्ञान	15%
03	समाज अध्ययन	इतिहास/भूगोल/नागरिक शास्त्र/ अर्थशास्त्र/वाणिज्य	20%

08. दिव्यांग उम्मीदवारः–

दिव्यांग उम्मीदवारों की सभी कोटि में विभागीय पत्र संख्या 1777 दिनांक 05.07. 2005 के आलोक में 3% क्षैतिज आरक्षण का लाभ दिया जायेगा। **दिव्यांग** उम्मीदवारों का

जिला असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत विकलांग प्रमाण पत्र संलग्नक करना अनिवार्य होगा। अन्यथा उन्हे **दिव्यांग** कोटि में आरक्षण का लाभ देय नही होगा। 40% से अधिक **दिव्यांगता** ही मान्य होगा।

09. शुल्कः–

i. आवेदन पत्र के साथः– आवेदन पत्र के साथ सामान्य/पिछड़ा/अत्यत पिछड़ा कोटि के अभ्यर्थी ₹ 100 (एक सौ रूपये) का तथा अनुसचित जाति/अनुसचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए ₹ 30 (तीस रू0 मात्र) का बैंक डाफ्ट शुल्क के रूप में देय होगा। बैंक डाफ्ट किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से R.D.D.E KOLHAN DIVISION, CHAIBASA के पद नाम से निर्गत तथा चाईबासा में भुगतेय होना चाहिए।

ii. नामांकन शुल्कः– चयनित आवेदकों से सरकार द्वारा निर्धारित निम्न शुल्क नामांकन के समय लिये जायेगेः–

(क) सामान्य/पिछड़ा/अत्यंत पिछड़ा कोटि के उम्मीदवारो से ₹ 3000 (तीन हजार ₹ मात्र)

(ख) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोटि के उम्मीदवारो से ₹ 1000 (एक हजार ₹ मात्र)

iii. शिक्षण शुल्कः– नामाकंन के पश्चात महाविद्यालय मे शिक्षण शुल्क एवं अन्य शुल्क निम्न प्रकार से लिये जायेगें :–

(क)	शिक्षण शुल्क	–	200/– प्रतिमाह
(ख)	क्रीड़ा शुल्क	–	100/– प्रतिमाह
(ग)	कॉमन रूम शुल्क	–	100/– प्रतिमाह
(घ)	विद्युत प्रभार एवं अन्य शुल्क	–	100/– प्रतिमाह
(ड़)	महाविद्यालय विकास कोष	–	1000/– (पूरे प्रशिक्षण अवधि में एक बार)

iv. **प्रशिक्षण समाप्ति के पश्चात् परीक्षा शुल्कः**– प्रशिक्षण समाप्ति के पश्चात् अंतिम परीक्षा हेतु आवेदन पत्र भरने के समय सामान्य एवं पिछड़ी कोटि के उम्मीदवारो को ₹1500 (एक हजार पॉच सौ रू0 मात्र) तथा अनुसचित जाति/अनुसचित जनजाति को ₹ 500 (पॉच सौ रू0 मात्र) देय होगा।

10. आवेदन कैसे करेः–

नामांकन हेतु दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञप्ति के साथ प्रकाशित विहित प्रपत्र में पूर्ण भरे हुए आवेदन पत्र सभी अनुलग्नकों सहित कार्यालयः– क्षेत्रीय उप शिक्षा निदेशक, कोल्हान प्रमण्डल, चाईबासा पिन नं0 833201 को निबंधित डाक से ही भेंजे। महिला अभ्यर्थी की स्थिति में लिफाफे के ऊपर लाल स्याही से महिला उम्मीदवार अंकित करेगें। नामांकन के लिए बुलावा पत्र हेतु 23X10 स्वपता लिखा हुआ लिफाफा जिस पर ₹ 25 डाक टिकट चिपका हो संलग्न करना अनिवार्य है। बैक ड्राफ्ट के पीछे आवेदक अपना नाम तथा आरक्षण कोटि अवष्य अंकित करेगें। आवेदन पत्र के साथ सभी प्रमाण पत्रों की स्वअभिप्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। अन्यथा आवेदन रद्द कर दिया जाएगा।

ध्यातव्य कि अधूरे एवं अपूर्ण आवेदन पत्र अस्वीकृत किया जाएगा। यथा आवेदन पत्र में नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, पता, शैक्षणिक योग्यता, चयनित विषय समूह आदि का कॉलम खाली रहना अथवा एक से अधिक विषय समूहों का चयन करना इत्यादि परिस्थितियों में आवेदन पत्र रद्द किया जाएगा।

11. आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथिः–

भरे हुए आवेदन पत्र दिनांक 30.09.2016 के अपराह्न 05:00 बजे प्राप्त किये जायेगे। विलंब से प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नही किये जायेगें।

12. चयनित आवेदकों की सूची कार्यालय सूचना पट पर प्रकाशित की जाएगी तथा डाक द्वारा भी सूचित किया जायेगा। अचयनित उम्मीदवारों को किसी प्रकार की सूचना नही दी जायेगी। चयनित आवेदकों को नामांकन के समय सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्रों एवं अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति, उपस्थापित करना अनिवार्य होगा। किसी भी प्रमाण पत्र के अभाव में नामांकन नहीं लिया जाएगा तथा उनका दावा अस्वीकृत कर दिया जायगा। अस्वीकृत आवेदन पत्र कार्यालय अभिलेख के रूप में रखे जायेगे अर्थात इसे लौटाया नही जायेगा।

13. विभाग द्वारा किसी प्रकार का आदेश/निदेश विज्ञप्ति प्रकाशित होने के पश्चात् प्राप्त होता है तो उस स्थिति में नामांकन हेतु चयन की सारी प्रक्रिया उस आदेश से प्रभावित होगा। इसके लिए अधोहस्ताक्षरी को सर्वाधिकार सुरक्षित रहेगा।

(अरविन्द विजय विलुंग)
क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक,
कोल्हान प्रमंडल चाईबासा।

विहित प्रपत्र
झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग,
झारखण्ड, राँची

कोल्हान प्रमण्डल, चाईबासा अंतर्गत राजकीय प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों एवं जिला षिक्षा एवं प्रषिक्षण संस्थान (डायट) केन्द्र में सत्र 2015–17 अंतर्गत डी0एल0एड0 कोर्स में नामांकन हेतु

<u>आवेदन पत्र</u>

केवल कार्यालय उपयोग के लिए

आवेदक/आवेदिका श्री/श्रीमती/सुश्री ....पिता/पति श्री.............................. का नाम प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय चाकुलिया, चैनपुर/डायट गम्हरिया में नामांकन के लिए अनुशंसित किया जाता है। इनका नाम मेधा सूची के क्रमांक ....पर अंकित है।

दिनांकः–

क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक,
कोल्हान प्रमंडल चाईबासा।

ध्यातव्य कि अधूरे एवं अपूर्ण आवेदन पत्र अस्वीकृत किया जाएगा। यथा आवेदन पत्र में नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, पता, शैक्षणिक योग्यता, चयनित विषय समूह आदि का कॉलम खाली रहना अथवा एक से अधिक विषय समूहों का चयन करना इत्यादि परिस्थितियों में आवेदन पत्र रद्द किया जाएगा।

आवेदित प्रमण्डल का नाम : कोल्हान प्रमण्डल, चाईबासा

स्वअभिप्रमाणित फोटो

01. आवेदक/आवेदिका नाम (हिन्दी में) ....
    (अँग्रेजी के बड़े अक्षरो में)
02. पिता/पति का नाम (हिन्दी में) ....
    (अँग्रेजी के बड़े अक्षरो में)
03. जन्म तिथि (माध्यमिक परीक्षा के मूल प्रमाण पत्र के अनुसार)
    (क) अंको में................. (ख) शब्दों में ....
04. दिनांक 01.07.2015 को कुल आयुः– वर्ष ......माह.........दिन.....
05. स्थायी पता
    ग्राम/मोहल्ला : ....पो0 : .... थाना : ....
    जिला : ....राज्य : .... पिनकोड : ....
    फोन न0 : .... मो0न0 : .... ई–मेल पताः ....
06. वर्तमान/पत्राचार का पता
    ग्राम/मोहल्ला : ....पो0 : .... थाना : ....
    जिला : ....राज्य : .... पिनकोड : ....
    फोन न0 : ....मो0न0 : .... ई–मेल पताः ....

(झारखण्ड राज्य से अलग अन्य राज्य के स्थायी निवासी झारखण्ड राज्य मे निवास करने का प्रमाण–पत्र, विज्ञप्ति के कॉलम 04(ख)(I) से(xii) तक जो लागू हो के अनुसार अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त आवासीय प्रमाण–पत्र संलग्न करें अन्यथा आवेदन पत्र पर विचार नहीं होगा।)

07. कोटि(सामान्य / पिछड़ा वर्ग–एनेक्सर–1 / पिछड़ा वर्ग–एनेक्सर–2 / अनुसूचित जाति / अनुसचित जन जाति):– .... (आवेदन आरक्षण कोटि की स्थिति में अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण पत्र ही संलग्न करें। जाति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं रहने की स्थिति में आरक्षण का लाभ अनुमान्य नहीं होगा। दूसरे राज्य से निर्गत जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं है।)

08. शैक्षणिक योग्यता:–

क्र.सं.	परीक्षा का नाम	बोर्ड / वि0वि0 का नाम	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत
(क)	मैट्रिक				
(ख)	इंटर				
(ग)	स्नातक				
(घ)	स्नातक (प्रतिष्ठा)				
(ड़)	स्नातकोत्तर				
(च)	क्रीड़ा				
(छ)	एन0सी0सी0				

09. प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय / डायट में सीटों का बँटवारा हेतु निम्नांकित विषय समूह निर्धारित है। आवेदक अपना एक विषय समूह का उल्लेख नीचे अंकित विवरणी में करेगें:–

01	भाषा	हिन्दी / संस्कृत / अरबी / फारसी / उर्दू	30%	
		अँग्रेजी	10%	
		जनजातीय / क्षेत्रीय भाषाएँ	10%	
02	विज्ञान	भौतिकी / गणित	15%	
		रसायन / जीव विज्ञान	15%	
03	समाज अध्ययन	इतिहास / भूगोल / नागरिक शास्त्र / अर्थशास्त्र / वाणिज्य	20%	

10. क्या आप सैनिक / भूतपूर्व सैनिक / सांसद / भूतपूर्व सांसद / विद्यायक / भूतपूर्व विद्यायक या पूर्व पार्षद् के पुत्र / पुत्री / पति / पत्नी हैं अगर हाँ तो प्रमाण पत्र संलग्न करें:–....................................

11. क्या आवेदक दिव्यांग हैं? अगर हाँ तो जिला असैनिक शल्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र संलग्न करें:– दिव्यांगता का प्रकार– (क) अस्थि दिव्यांग.......(ख) दृष्टि दिव्यांग....... (ग) श्रवण दिव्यांग ....
दिव्यांगता का प्रतिशत:– ....

12. बैंक ड्राफ्ट का विवरण (सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग कोटि के अभ्यर्थियों के लिए ₹ 100 और अनुसूचित जाति एवं अनुसचित जनजाति कोटि के अभ्यर्थियों के लिए ₹ 30 का ड्राफ्ट किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से प्रदत्त **R.D.D.E KOLHAN DIVISION, CHAIBASA** के पदनाम से चाईबासा में भुगतेय हो, संलग्न करें।

(क) ड्राफ्ट संख्या : .... (ख) बैंक का नाम : ....
(ग) राशि : .... (घ) निर्गत की तिथि : ....

13. प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय / डायट का नाम जहॉ आवेदक नामाकंन कराना चाहते है? (आवेदक वरीयता के अनुसार दो महाविद्यालय का नाम अंकित अंकित करें। महिला अभ्यर्थी सिर्फ एक महाविद्यालय का नाम अंकित करें।)
(क) .... (ख) ....

14. अनुलग्नक (निम्न प्रमाण पत्रों की स्वःअभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें एवं संबंधित बाक्स में (हाँ/नहीं) लिखें।

क्र. सं.	विवरण	हाँ/नहीं	क्र. सं.	विवरण	हाँ/नहीं
01	मैट्रिक का मूल प्रमाण–पत्र		07	क्रीड़ा प्रमाण पत्र	
02	मैट्रिक का अंक प्रमाण पत्र		08	एन0सी0सी0 प्रमाण पत्र	
03	इंटर का अंक पत्र		09	आवासीय प्रमाण पत्र	
04	स्नातक का अंक पत्र		10	जाति प्रमाण पत्र	
05	स्नातक(प्रतिष्ठा) का अंक पत्र		11	विकलांगता प्रमाण पत्र	
06	स्नातकोत्तर का अंक पत्र		12	स्वपता लिखा हुआ लिफाफा जिस पर ₹ 25 का डाक टिकट सहित।	

15. मै घोषणा करता/करती हूँ कि :–

(क) आवेदन पत्र में अंकित एवं संलग्न सभी सूचनाएँ मेरी जानकारी में सही व सत्य है। नामांकन के समय या प्रशिक्षण के दौरान कोई भी उक्त अंकित सूचना गलत पायी जाती है तो मेरा/मेरी उम्मीदवारी रद्द/महाविद्यालय से निष्कासित कर दी जाए तथा मेरे ऊपर कार्रवाई की जाए।

(ख) मै अनुशंसित प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय/डायट में ही नामांकन कराऊँगा/कराऊँगी। अन्य किसी प्रशिक्षण महाविद्यालय/डायट में स्थानांतरण हेतु दावा नहीं करूँगा/करूँगी।

स्थान :–

दिनांकः–

आवेदक/आवेदिका का पूर्ण हस्ताक्षर